

20 अगस्त 2016 19/12/18

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

10/11/2018

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०..... से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....

फैस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम 0 और तारीख 1.	आदेश एवं प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
3.5.18	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1713/सी०आर० दिनांक 10.05.2017 द्वारा बेलदौर थाना काण्ड संख्या-189/2016 दिनांक 03.12.2016 धारा-47(ए०) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये देशी शराब (महुआ) 250 एम०एल० का 14 पीस (सफेद पन्नी में पैक) कुल 03 लीटर 500 एम०एल० देशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष बेलदौर का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।</p> <p>देशी शराब (महुआ) 250 एम०एल० का 14 पीस (सफेद पन्नी में पैक) कुल 03 लीटर 500 एम०एल० सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना काण्ड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित</p> <p>3.5.18</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया</p> <p>बेलदौर थाना काण्ड संख्या-189/2016</p> <p>देशी शराब (महुआ) 250 एम०एल० का 14 पीस (सफेद पन्नी में पैक) कुल 03 लीटर 500 एम०एल०</p> <p>देशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष बेलदौर का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।</p> <p>देशी शराब (महुआ) 250 एम०एल० का 14 पीस (सफेद पन्नी में पैक) कुल 03 लीटर 500 एम०एल० सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना काण्ड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।